जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

प्रथम तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : :www.brlp.in

Ref: BRLPS/Proj-SD/1437/18/4162 Date: 21.01.19

दिशानिर्देश - मध्याह्न भोजन योजना - ग्राम संगठन की एक पहल

स्कूल शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पठन पाठन में अपना अधिकांश समय व्यतीत करें इसके लिए यह आवश्यक है कि मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रम को सामुदायिक भागीदारी से चलाया जाय। इस दिशा में जीविका द्वारा बनाये गये समुदाय आधारित संगठनों (ग्राम संगठन) के सहयोग से दो ज़िलों – मुजफ्फरपुर के मुरौल एवं जहानाबाद के घोसी प्रखंड में इस कार्यक्रम के संचालन का प्रारंभिक प्रयोग (pilot) किया जाएगा। इन प्रखंडों के सभी ग्राम संगठन अपने नजदीकी स्कूल में इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। इस योजना को चलाने के लिए प्रत्येक ग्राम संगठन से दो दीदीयों का चयन किया जायेगा जो तीन महीने के लिए स्कूलों में मध्याह्न भोजन चलने वाली समिति को सहयोग करेंगी। मध्याह्न भोजन बनाने और परोसने का कार्य पहले से चयनित रसोइया द्वारा ही किया जाएगा जिसमें अधिकांश जीविका समूह की दीदियाँ हैं।

योजना का संचालन सुचारू रूप से करने हेतु कार्यक्रम के घटकों में निम्न परिवर्तन प्रस्तावित हैं:

1. **खाद्यान्न का प्रवाह:** राज्य खाद्य निगम से विद्यालय तक खाद्यान्न मध्याह्न भोजन योजना संवेदक के माध्यम से ससमय उपलब्ध कराया जायेगा। विद्यालय में प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं जीविका की चयनित दीदी के संयुक्त हस्ताक्षर से खाद्यान्न की प्राप्ति की जायगी। वितरण सूची पर प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं जीविका की दीदी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जायेगा।

2. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच प्रधानाध्यापक एवं जीविका की चयनित दीदी की उपस्थिति में किया जायेगा। यदि खाद्यान्न की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी पायी जाए, तो उसे ग्रहण नहीं किया जायेगा।

3. खाद्यान्न प्राप्त करने के पश्चात् विद्यालय के रसोई-सह-भण्डारगृह में या प्रधानाध्यापक द्वारा उपलब्ध कराये गये विद्यालय के किसी कमरा में खाद्यान्न का भण्डारण किया जायेगा। भण्डारित कमरे या रसोईघर की चाभी संयुक्त रूप से प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं जीविका की दीदी के पास रहेगी। प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस कार्य के लिये जीविका दीदी को तीन माह तक सहयोग किया जायेगा।

4. विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक बच्चों की वास्तविक संख्या विद्यालय प्रारंभ होने के एक घण्टे के भीतर जीविका की दीदी को उपलब्ध करायेंगे, जिसपर प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं जीविका की दीदी का हस्ताक्षर रहेगा। आवश्यकतानुसार जीविका की दीदी द्वारा बच्चों की संख्या का सत्यापन भी किया जायेगा।

5. बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने हेतु लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर भण्डारगृह से चावल एवं अन्य खाद्य सामग्री की निकासी की जायेगी। प्रत्येक दिन उपयोग में लाये गये चावल एवं अन्य खाद्य सामग्री का लेखा जोखा एक पंजी में संधारित किया जायेगा, जिसपर जीविका की सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

6. **राशि का प्रवाह:** लाभान्वित बच्चों की संख्या के आधार पर अगले तीन माह के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी – (मध्याह्न भोजन योजना) द्वारा संबंधित ग्राम संगठन के खाते में RTGS के माध्यम से राशि का हस्तांतरण किया जायेगा।

(क): संबंधित ग्राम संगठन द्वारा आवश्यकतानुसार राशि की निकासी एवं व्यय ग्राम संगठनों के नियम के अनुसार की जाएगी।

(ख): यह अपेक्षित होगा कि ग्राम संगठन प्रत्येक तिमाही का व्यय विवरण तथा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी - मध्याह्न भोजन योजना को समर्पित करें।

(ग): मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित पंजी का संधारण ग्राम संगठन के बुक कीपर द्वारा किया जायेगा। मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्राप्त राशि का विवरण प्राप्ति एवं भुगतान पुस्तिका में अंकित किया जाएगा।

7. मध्याह्न भोजन बनाने हेतु मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित वस्तुओं का क्रय ग्राम संगठन की खरीदारी समिति द्वारा किया जायेगा।

8. विद्यालयों में मध्याह्न भोजन हेतु हरी सब्जी, फल/अंडा इत्यादि की खरीदारी मध्याह्न भोजन का अनुश्रवण करने वाली सदस्यों द्वारा प्रतिदिन या दो से तीन दिन पर किया जायेगा । साथ ही निर्धारित मेनू के अनुसार अन्य खाद्य सामग्री ग्राम संगठन की खरीदारी समिति द्वारा 15 दिन या 1 माह के लिए की जायेगी।

9. मध्याह्न भोजन योजना हेतु क्रय की गई खाद्य सामग्री का भण्डारण रसोई-सह- भण्डारगृह या किसी सुरक्षित जगह पर विद्यालय में ही किया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं अनुश्रवण करने वाली जीविका की दीदियों की होगी। प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस कार्य के लिये जीविका दीदी को तीन माह तक सहयोग किया जायेगा।

10. मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत खाद्यान्न हेतु वर्ग 1 से 5 का रू० 4.35 प्रति बच्चा एवं वर्ग 6 से 8 के लिए रू० 6.51 प्रति बच्चा अनुमान्य है। किये गए व्यय का लेखा ग्राम संगठन की पुस्तिका में बुक कीपर द्वारा रखा जाएगा । राशि समाप्त होने के पूर्व व्यय हुई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं नयी राशि उपलब्ध कराने हेतु अभियाचना पत्र दिया जायेगा।

11. जीविका के माध्यम से निर्धारित दर पर मध्याह्न भोजन बच्चों को दिया जायेगा। यदि उक्त दर पर निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुरूप मध्याह्न भोजन देने में कठिनाई हो तो दर के पुनरीक्षण पर विचार किया जा सकेगा।

12. प्रत्येक दोपहर IVRS द्वारा प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक से पूछे जाने वाले प्रश्न जीविका की चयनित दीदियों से भी पूछे जा सकेंगे।

13. विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने में किसी भी प्रकार का विवाद एवं अन्य तरह की शिकायत होने पर लिखित शिकायत जीविका की सम्बंधित दीदी / ग्राम संगठन द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजना योजन) के समक्ष की जायेगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) का यह दायित्व होगा कि जीविका के सदस्य से प्राप्त शिकायत का 15 दिनों

के अन्दर निष्पादन हो। यदि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) द्वारा निर्धारित समय के अंतर्गत मामले का निष्पादन नहीं किया जा सके तो निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना के समक्ष इसे लिखित रूप से रखा जायेगा।

14. जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक मासिक समीक्षात्मक बैठक की जायेगी जिसमें जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक, सामाजिक विकास प्रबंधक, प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी सम्मिलित होंगे।

15. जीविका के सदस्य को मध्याह्न भोजन संचालन, रख-रखाव, मेनू, मानक एवं पंजी संधारण आदि हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन संचालन आरंभ करने के पूर्व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

16. मध्याह्न भोजन तैयार होने पर प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, रसोइया-सह-सहायक एवं जीविका के सदस्य द्वारा चखने के आधा घण्टा बाद बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाया जायेगा। चखने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर चखना पंजी पर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

17. मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ होने के बाद यदि किसी सामग्री का क्रय करने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में सम्बंधित ग्राम संगठन राशि की मांग जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) से की जाएगी।

18. मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ होने के पश्चात् समस्याओं को देखते हुए नियमावली में संशोधन किया जा सकता है।

19. सम्बंधित जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से हो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को पुष्टिवर्धक भोजन उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा हो सके।

31.1.2019.

(ब्रज किशोर पाठक)
विशेष कार्य पदाधिकारी

प्रतिलिपि:

1. जिला परियोजना प्रबंधक/सामाजिक विकास प्रबंधक – मुजफ्फरपुर, जहानाबाद
2. प्रखंड परियोजना प्रबंधक - मुरौल (मुजफ्फरपुर), घोसी (जहानाबाद)
3. विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक/मुख्य वित्त प्रबंधक/प्रशासी पदाधिकारी
4. सभी परियोजना समन्वयक/राज्य परियोजना प्रबंधक/राज्य वित्त प्रबंधक/परियोजना प्रबंधक
5. सूचना एवं तकनीकि अनुभाग
6. सम्बंधित याचिका